लोक लेखा समिति

प्रस्तावना

हमारे जैसे संसदीय लोकतंत्र में समिति प्रणाली का बड़ा महत्व होता है। विधायिका के प्रति प्रशासनिक उत्तरदायित्व ऐसी संसदीय प्रणाली की अनिवार्य शर्त होते हैं। संसद, कार्यपालिका पर जो नियंत्रण रखती है उसका उद्‌भव उस मूल सिद्धांत से होता है कि संसद जन–आकांक्षा को मूर्त रूप देती है और इसलिए, यह आवश्यक है कि वह इसकी निगरानी करने में सक्षम हो संसद द्वारा बनाई गई किसी सार्वजनिक नीति का कार्यान्वयन किस प्रकार होता है। हालांकि, सरकारी कार्यकलापों के असाधारण प्रसार से विधानमंडलों का कार्य अत्यधिक जटिल और विविधतापूर्ण हो गया है। अपने स्वभाव से ही संसद का एक निकाय के रूप में सरकार और उसके कार्यकलापों के समस्त पहलू पर प्रभावी नियंत्रण नहीं हो सकता है। समितियों के माध्यम से विधायिका के प्रति प्रशासनिक उत्तरदायित्व हमारी राजनीतिक व्यवस्था की कसौटी रहा है। लोक लेखा समिति को हमारी समिति प्रणाली में उच्च का स्थान प्राप्त है।

समिति की उत्पत्ति

लोक लेखा समिति का गठन पहली बार 1921 में मॉन्टग्यू–चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के परिणामस्वरूप हुआ था। कार्यकारिणी परिषद् के वित्त सदस्य इस समिति के सभापति हुआ करते थे। समिति को सचिवालय संबंधी सहायता तत्कालीन वित्त विभाग (वर्तमान में वित्त मंत्रालय) द्वारा दी जाती थी। यह स्थिति 1949 तक बनी रही। अंतरिम सरकार के दिनों में वित्त मंत्री इस समिति के सभापति के रूप मे काम करते थे और बाद में अगस्त, 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, वित्त मंत्री सभापति बन गए। इससे विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति और कार्यपालिका की आलोचना पर स्वाभाविक रूप से रोक लग गई। 26 जनवरी, 1950 को भारत का संविधान लागू होने के साथ ही लोक लेखा संबंधी समिति में उस समय आमूल–चूल परिवर्तन हुए जब यह समिति अध्यक्ष के नियंत्रण में काम करने वाली एक संसदीय समिति बन गई और उसमें निर्वाचित लोक सभा सदस्यों में से किसी एक को अध्यक्ष द्वारा गैर–सरकारी सभापति नियुक्त किया गया। लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियम के नियम 309 (एक) के द्वारा वित्त मंत्री इस समिति के सदस्य नहीं रहे।

समिति का गठन

लोक लेखा समिति अब प्रति वर्ष लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियम के नियम 308 के तहत गठित की जाती है। लोक लेखा समिति में 22 से अधिक सदस्य नहीं होते हैं जिनमें 15 सदस्य लोक सभा द्वारा प्रतिवर्ष अपने सदस्यों में से एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार, निर्वाचित किए जाते हैं और उसी तरह राज्य सभा से सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं जो 7 से अधिक नहीं होते हैं। 1954–55 से पहले, इस समिति में 15 सदस्य होते थे जो लोक सभा द्वारा अपने सदस्यों में से निर्वाचित किए जाते थे। परंतु, 1954–55 से 7 सदस्य, राज्य से भी इस समिति में सम्बद्ध किए जा रहे हैं। 1966–67 तक सत्तारूढ़ दल के किसी वरिष्ठ सदस्य को अध्यक्ष द्वारा इस समिति के सभापति के रूप में नियुक्त किया जाता था। हालांकि, 1967 में पहली बार लोक सभा में विपक्ष के किसी सदस्य को अध्यक्ष द्वारा इस समिति के सभापति के रूप में नियुक्त किया गया। यह परम्परा आज भी जारी है। इस समिति के सदस्यों का कार्यकाल एक बार में एक वर्ष से अधिक का नहीं होता है। किसी मंत्री को समिति का सदस्य निर्वाचित नहीं किया जाता है। यदि किसी सदस्य की इस समिति में उसके निर्वाचन के पश्चात मंत्री के रूप में नियुक्ति हो जाती है तो वह ऐसी नियुक्ति की तिथि से समिति का सदस्य नहीं रहता है समिति के सभापति की नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा समिति में लोक सभा के सदस्यों में से की जाती है।

क्षेत्र और कार्य

समिति के कार्यों, जैसा कि 'लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियम' के नियम 308 (1) में दिया गया है, में भारत सरकार के व्यय के लिए संसद द्वारा अनुदत्त राशियों का विनियोग दिखाने वाले लेखाओं, भारत सरकार के वार्षिक वित्त लेखाओं और सभा के सामने रखे गए ऐसे अन्य लेखाओं, जिन्हें समिति ठीक समझे, की जांच करना शामिल है। भारत सरकार के विनियोग लेखे और उन पर नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन की छान–बीन करते समय समिति को यह सुनिश्चित करना होगाः–

(क) कि लेखाओं में वितरित किया गया दिखाया गया धन उस सेवा या प्रयोजन के लिए विधिक रूप से उपलब्ध और लगाए जाने योग्य था, जिसमें यह लगाया गया है या भारित किया गया है;

(ख) कि व्यय उस प्राधिकार के अनुसार है जिसके वह अधीन है;

(ग) कि प्रत्येक पुनर्विनियोग सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्मित नियमों के अंतर्गत, इस संबंध में किए गए उपबंधों के अनुसार किया गया है।

समिति का यह भी कर्तव्य होगा–

(क) कि वह राज्य निगमों, व्यापारिक और विनिर्माण योजनाओं, संस्थाओं एवं परियोजनाओं के आय और व्यय को दर्शाने वाले लेखाओं के विवरण तथा लाभ और हानि लेखाओं के तुलनपत्रों और विवरणों की, जिसे राष्ट्रपति ने तैयार करने की अपेक्षा की हो अथवा जिन्हें विशेष निगम, व्यापारिक या विनिर्माण योजना या संस्था या परियोजना के वित्तपोषण को विनियमित करने वाले सांविधिक नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत तैयार किया जाता हो, और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन की जांच करे।

(ख) कि वह उन स्वायत्त और अर्द्धस्वायत्त निकायों के आय और व्यय को दर्शाने वाले लेखाओं के विवरण की जांच करे जिनकी भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा, या तो राष्ट्रपति के निर्देशों के अंतर्गत अथवा संसद की संविधि के द्वारा लेखापरीक्षा कराई जा सकती है; और

(ग) कि वह उन मामलों में नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन पर विचार करे जहां राष्ट्रपति ने किन्हीं प्राप्तियों की लेखापरीक्षा करवाने अथवा भंडारों के लेखाओं की जांच करवाने की अपेक्षा की हो।

यदि किसी वित्त वर्ष के दौरान, किसी सेवा पर इस प्रयोजन हेतु सभा द्वारा प्रदत्त राशि से अधिक धन खर्च किया गया है तो समिति प्रत्येक मामले के तथ्यों के संबंध में उन परिस्थितियों की जांच करेगी जिनके कारण ऐसा अधिक खर्च हुआ और ऐसी सिफारिश करेगी जो कि वह उचित समझे।

<u>जांच का स्वरूप और क्षेत्र</u>

समिति का एक महत्वपूर्ण कार्य यह सुनिश्चित करना है कि संसद द्वारा अनुदत्त धनराशि को सरकार द्वारा 'मांग की सीमा के भीतर' व्यय किया गया है। इस वाक्यांश का निहितार्थ यह है कि (एक) अनुदान के सामने खर्च के रूप में दर्शाया गया धन अनुदत्त राशि से अधिक नहीं होना चाहिए, (दो) किसी विशेष अनुदान के सामने खाते में लगाया गया व्यय ऐसा होना चाहिए कि वह अनुदान के सामने दर्ज हो न कि किसी अन्य के सामने, और (तीन) अनुदानों का विस्तृत मांग में निर्धारित उद्देश्यों के लिए ही व्यय किया जाए और उन्हें ''मांग में सम्मिलित नहीं की गई किसी नई सेवा'' पर व्यय नहीं किया जा सकता है। समिति का कार्य ''व्यय की औपचारिकता देखना ही नहीं बल्कि इसकी विवेकपूर्णता, विश्वसनीयता और मितव्ययिता को भी देखना है।' अतः समिति हानि, निरर्थक व्यय और वित्तीय अनियमितताओं के मामलों की जांच करती है। जब सिद्ध लापरवाही का कोई मामला जिसके परिणामस्वरूप हानि हुई है अथवा अपव्यय हुआ हो, समिति के संज्ञान में लाया जाता है, तो समिति, संबंधित मंत्रालय/विभाग से यह बताने को कहती है कि उसने इसकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कार्रवाई, अनुशासनात्मक अथवा अन्य की थी। ऐसे मामले में समिति निरनुमोदन के रूप में अपनी राय व्यक्त कर सकती है अथवा संबंधित मंत्रालय अथवा विभाग द्वारा अपव्यय या उपयुक्त नियंत्रण की कमी के विरूद्ध कटु आलोचना दर्ज करा सकती है। समिति का अन्य महत्वपूर्ण कार्य वित्तीय अनुशासन और सिद्धांत के बिन्दुओं पर चर्चा करना है। सिद्धांत और व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों की विस्तृत जांच करना समिति का एक प्रमुख और स्वीकृत कार्य है। समिति, व्यापक अर्थ में नीति संबंधी प्रश्नों से संबंधित नहीं है। नियम के अनुसार, समिति सामान्य नीति से संबंधित प्रश्नों पर कोई विचार व्यक्त नहीं करती है लेकिन, यह इंगित करना इसके अधिकार क्षेत्र में है कि क्या नीति के पालन में किसी प्रकार का अपव्यय अथवा धन की बर्बादी तो नहीं हुई है।

<u>अनुदानों से अधिक व्यय का विनियमितीकरण</u>

यदि सरकार द्वारा किसी सेवा पर उसके प्रयोजन के लिए सभा द्वारा अनुदत्त राशि से अधिक धन व्यय किया गया है तो समिति प्रत्येक मामलें के तथ्यों के संबंध में उन परिस्थितियों की जांच करती है जिनके कारण इस प्रकार का अधिक व्यय हुआ और ऐसी सिफारिशें करती है जो वह उचित समझे। तत्पश्चात,ऐसे अधिक व्यय के मामलो को संविधान के अनुच्छेद 115 के अनुसार, विनियमितीकरण के लिए सरकार द्वारा सदन के समक्ष लाया जाना आवश्यक होता है। संसद द्वारा ऐसे अधिक व्यय का त्वरित विनियमितीकरण सुगम बनाने के लिए समिति अन्य प्रतिवेदनों से पहले सभी मंत्रालयों/विभागों से संबंधित एक समेकित प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है।

बचत

समिति, गलत अनुमान अथवा कमियों अथवा प्रक्रिया के अन्य दोषों से होने वाली बचत को भी अधिक व्यय के मामलों को भांति नरमी से नहीं देखती है समिति सुरक्षित अनुमान को भी उतना ही दोषपूर्ण मानती है जितना कि कम अनुमान को। समति के शब्दों में ''एक दृष्टिकोण से, 'सुरक्षित' अनुमान को और अधिक आपत्तिजनक माना जा सकता है, क्योंकि इसके कारण अपव्यय, बर्बादी अथवा उसे भी बदतर स्थिति हो सकती है।''

समिति के कार्यों की उपयोगिता और महत्व

लोक सभा, करदाताओं के हित में करदाताओं की बड़ी धनराशि को स्वीकृत करते हुए, विस्तारपूर्वक यह जानने की आशा करती है कि यह धनराशि किस प्रकार व्यय की गई है। समिति को यह संतुष्टि होनी चाहिए कि स्वीकृत धनराशि का अभीष्ट उद्देश्य के लिए विवेकपूर्ण ढंग से एवं मितव्ययितापूर्वक व्यय किया गया। नियंत्रक–महालेखापरीक्षक सरकार के वार्षिक लेखाओं की जांच करते हैं और गहन जांच के बाद अपनी टिप्पणियों के साथ लेखाओं को सत्यापित करते हैं और राष्ट्रपति को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं जो उन्हें संसद में रखवाते हैं। लोक सभा के लिए उन लेखाओं की विस्तृत जांच करना, जो जटिल और तकनीकी हैं, यदि असंभव नहीं तो मुश्किल है। इसके अलावा, लोक सभा ऐसी जांच के लिए आवश्यक समय नहीं दे सकती। इन कारणों से लोक सभा ने लोक लेखा समिति गठित की है और इसे उन लेखाओं की विस्तृत जांच की जिम्मेदारी सौंपी है। समिति का एक और महत्वपूर्ण कार्य वित्तीय अनुशासन और सिद्धांत के बिन्दुओं पर चर्चा करना है। सिद्धांत और व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों की विस्तृत जांच करना समिति का एक प्रमुख और स्वीकृत कार्य है।

लोक लेखा समिति के कार्य

समिति का कार्य काफी हद तक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की गई संघ सरकार के लेखाओं की लेखापरीक्षा और जांच के परिणामों पर निर्भर करता है। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की गई लेखा परीक्षा व्यापक और बहुआयामी होती है। इसका एक उदाहरण है, इसमें अन्य बातों के साथ-साथ (क) लेखा पद्धति लेखापरीक्षा,(ख) नियमितता लेखापरीक्षा, (ग) विनियोग लेखापरीक्षा, (घ) औचित्य लेखापरीक्षा अथवा जिसे स्वनिर्णयगत लेखापरीक्षा के नाम से भी जाना जाता है,और (ड़) दक्षता-सह-निष्पादन लेखापरीक्षा शामिल हैं। हाल के वर्षों में, विकासात्मक योजनाओं की लेखापरीक्षा में दक्षता-सह-निष्पादन लेखापरीक्षा की तकनीक इस्तेमाल करने का प्रयास किया गया है। लेखापरीक्षा यह जांच करती है कि कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियां शुरू की गई विभिन्न योजनाओं के सम्बन्ध में अपने वित्तीय उत्तरदायित्वों का किस सीमा तक समुचित ढंग से निर्वहन कर रही हैं और यह पता लगाती है कि क्या योजनाओं का कार्यान्वयन प्रभावी ढंग से किया जा रहा है तथा उनके प्रचालनों में मितव्ययिता बरती जा रही है और क्या उनसे अपेक्षित परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। वास्तव में, लोक लेखा समिति के कार्यकरण में लेखापरीक्षा संस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को अक्सर समिति का "मित्र,दार्शनिक और पथ-प्रदर्शक" कहा जाता है।

समिति, प्रतिवर्ष अपने कार्यकाल के आरम्भ में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के विभिन्न प्रतिवेदनों में शामिल लेखापरीक्षा पैराओं का गहन जांच हेतु चयन करती है। उपर्युक्त के अतिरिक्त, समिति वर्ष के दौरान स्वप्रेरणा से नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों/पैराओं में शामिल विषयों के अलावा एक या दो विषयों(प्रक्रिया और नियमों के नियम 276 के अनुरूप) का गहन जांच के लिए चयन कर सकती है। विचार-विमर्श करने और समिति के पास उपलब्ध समय को नोट करने के बाद,समिति उन सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषयों/पैराओं का चयन करती है जिनके सम्बन्ध में मौखिक जाँच की जानी है।

सिफारिशों पर की गई कार्रवाई

किसी प्रतिवेदन का महत्त्व तभी होता है बशर्ते उसके सम्बन्ध में उचित अनुवर्ती कार्रवाई की जाए। मूल प्रतिवेदन के मामले में,सरकार को सामान्यतः प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के छह माह के अंदर प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर उसके द्वारा की-गई-कार्रवाई अथवा की जाने वाली कार्रवाई से समिति को अवगत कराना होता है।समिति सरकार के की-गई-कार्रवाई उत्तरों पर विचार करती है और उत्तरों के उचित वर्गीकरण के बाद, संसद में की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है। सरकार को की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों के सम्बन्ध में उसके द्वारा की-गई-कार्रवाई अथवा की जाने वाली कार्रवाई से भी समिति को अवगत कराना होता है और मूल प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट पूर्व सिफारिशों के सम्बन्ध में अंतिम उत्तर भी प्रस्तुत करने होते हैं जिनके सम्बन्ध में या तो पहले कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे या केवल अंतरिम उत्तर प्राप्त प्राप्त हुए थे (अर्थात अध्याय पांच)। इस प्रकार सरकार द्वारा सूचित की-गई-कार्रवाई को विवरण के रूप में सभा पटल पर रखा जाता है, जिस पर समिति आगे और कोई टिप्पणी नहीं करती है। यह व्यवस्था न केवल संसद के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करती है बल्कि संसद और आम जनता को भी समिति की सिफारिशों पर सरकार के अंतिम उत्तरों के मूल्यांकन में भी समर्थ बनाती है। यह समिति द्वारा विषय की जांच को संपन्न करती है।

समिति द्वारा चयन न किए गए लेखापरीक्षा पैराओं पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर अनुवर्ती कार्रवाई

1981 तक, समिति द्वारा विस्तृत जांच हेतु चयन न नहीं किए गए लेखापरीक्षा पैराओं पर, मंत्रालयों/विभागों द्वारा की–गई–कार्रवाई का पता लगाने की कोई परम्परा नहीं थी। तथापि, विभिन्न लेखापरीक्षा पैराओं में उठाए गए सभी मुद्दों के संबंध में कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने के मद्देनजर लोक लेखा समिति ने 1982 में यह निर्णय लिया कि वर्ष 1980–81 से लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को उनमें अंतर्विष्ट सभी पैराओं पर की गई उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्रवाई को दर्शाते हुए लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत रूप से पुनःरीक्षित टिप्पण प्रस्तुत करने के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भेजा जाएगा।

लेखापरीक्षा पैराओं पर मंत्रालय द्वारा की गई सुधारात्मक कार्रवाई के संबंध में, समिति को सूचित करने में बड़ी संख्या में मंत्रालयों द्वारा अत्यधिक विलंब और लगातार असफलता को ध्यान में रखते हुए, समिति ने सिफारिश की कि भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के सभी पैराओं पर की–गई–कार्रवाई–टिप्पण, प्रतिवेदन के सभा पटल पर रखे जाने की तिथि से चार माह की अवधि के भीतर वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के माध्यम से समिति को प्रस्तुत किए जाए और निगरानी प्रकोष्ठ, व्यय विभाग इसकी वास्तविक निगरानी के लिए लेखापरीक्षा पैरा निगरानी प्रणाली (एपीएमएस) पोर्टल को विकसित एवं प्रचालनरत करें। वर्तमान में समिति के निरंतर प्रयासों के कारण लेखापरीक्षा पैराओं के निपटान संबंधी संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन है। लोक लेखा समिति द्वारा की गई पहल के परिणामस्वरूप संबंधित मंत्रालयों/विभागों ने समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर उपचारात्मक की–गई–कार्रवाई–टिप्पणों और की–गई–कार्रवाई–उत्तरों को समय पर प्रस्तुत करने के लिए अपने प्रशासनिक तंत्र को चुस्त–दुरुस्त किया है। लंबतिता के आंकडों में भारी कमी आई है और समिति का लक्ष्य शून्य लंबितता हासिल करना है।

समिति के आरंभ से इसके सभापतियों की सूची

समिति के आरंभ में (1921 से 2022–23) तक संसद की लोक लेखा समिति के सभापतियों की सूची।

क्र. सं.	नाम	वर्ष	दल
1.	श्री डब्ल्यू.एम. हैली	1921	–
2.	सर बेसिल पी. ब्लैकेट	1922	–
3.	सर बेसिल पी. ब्लैकेट	1923	–
4.	सर बेसिल पी. ब्लैकेट	1924	–

5.	सर बेसिल पी. ब्लैकेट	1925	—
6.	सर बेसिल पी. ब्लैकेट	1926	—
7.	सर बेसिल पी. ब्लैकेट	1927	—
8.	सर भूपेन्द्र नाथ मित्रा	1928	—
9.	सर जार्ज शूस्टर	1929	—
10.	सर जार्ज शूस्टर	1930	—
11.	सर जॉर्ज शूस्टर	1931	—
12.	सर एलन पार्सन्स	1932	—
13.	श्री ए. एच. लॉयड	1933	—
14.	सर जेम्स ग्रिग	1934	—
15.	सर जेम्स ग्रिग	1935	—
16.	सर जेम्स ग्रिग	1936	—
17.	श्री जे.सी. निक्सन	1937	—
18.	सर जेम्स ग्रिग	1938	—
19.	सर जेरेमी रैस्मन	1939	—
20.	सर जेरेमी रैस्मन	1940	—
21.	सर जेरेमी रैस्मन	1941	—
22.	श्री सी. ई. जोन्स	1942	—
23.	सर जेरेमी रैस्मन	1943	—
24.	सर सिरिल जोन्स	1944	—
25.	सर आर्ची बॉल्ड रोलैंड्स	1945	—
26.	सर ककोटस डॉ. नमथाई श्री लियाकत अली खान	1946	—
27.	श्री लियाकत अली खान श्री आर.के. शनमुखमचेट्टी	1947	—
28.	श्री आर.के. शनमुखमचेट्टी डॉ.जॉनमथाई	1948	—
29.	डॉ.जॉनमथाई	1949	—
30.	श्री बी. दास	1950-51	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
31.	श्री बी. दास	1951-52	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
32.	श्री बी. दास	1952-53	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
33.	श्री बी. दास	1953-54	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
34.	श्री बी. दास	1954-55	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
35.	श्री वी. बी. गांधी	1955-56	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
36.	श्री वी. बी. गांधी	1956-57	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
37.	श्री टी. एन. सिंह	1957-58	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
38.	श्री टी. एन. सिंह प्रो. एन. जी. रंगा	1958-59	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
39.	डॉ. पी. सुब्बारायन श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन	1959-60	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
40.	श्री उपेन्द्रनाथ बर्मन	1960-61	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
41.	श्री सी. आर. पट्टाभिरामन	1961-62	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
42.	श्री महावीर त्यागी	1962-63	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
43.	श्री महावीर त्यागी श्री आर.के. खाडिल्कर	1963-64	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
44.	श्री राधेश्याम आर. मोरारका	1964-65	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
45.	श्री राधेश्याम आर. मोरारका	1965-66	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
46.	श्री राधेश्याम आर. मोरारका	1966-67	स्वतंत्र
47.	श्री एम. आर. मसानी	1967-68	स्वतंत्र
48.	श्री एम. आर. मसानी	1968-69	जनसंघ
49.	श्री अटल बिहारी वाजपेयी	1969-70	जनसंघ
50.	श्री अटल बिहारी वाजपेयी	1970-71	डीएमके

51.	श्री इरा सेजीयन	1971-72	डीएमके
52.	श्री इरासे जीयन	1972-73	सीपीआई(एम)
53.	श्री ज्योतिर्मय बसु	1973-74	सीपीआई(एम)
54.	श्री ज्योतिर्मय बसु	1974-75	सीपीआई
55.	श्री एच. एन. मुखर्जी	1975-76	सीपीआई
56.	श्री एच. एन. मुखर्जी	1976-77	कांग्रेस(आई)
57.	श्री सी. एम. स्टीफन	1977-78	कांग्रेस(आई)
58.	श्री पी. वी. नरसिम्हाराव	1978-79	कांग्रेस (आई)
59.	श्री टी. ए. पई श्री आर.वेंकटरामन	1979-80 (30.7.79 तक) 1979-80 (02.8.79 से)	कांग्रेस (आई) कांग्रेस (आई)
60.	श्री चंद्रजीत यादव	1980-81	लोकदल
61.	श्री सतीश अग्रवाल	1981-82	भाजपा
62.	श्री सतीश अग्रवाल	1982-83	भाजपा
63.	श्री सुनील मैत्रा	1983-84	कांग्रेस (आई)
64.	श्री सुनील मैत्रा	1984	कांग्रेस (आई)
65.	श्री ई. अय्यपु रेड्डी	1985-86	टीडीपी
66.	श्री ई. अय्यपु रेड्डी	1986-87	टीडीपी
67.	श्री अमल दत्ता	1987-88	सीपीआई(एम)
68.	श्री अमल दत्ता	1988-89	सीपीआई(एम)
69.	श्री पी. कोलंदिवेलु	1989 (27.11.89 तक)	एआईएडीएमके
70.	श्री संतोष मोहन देव	1990-91	कांग्रेस (आई)
71.	श्री अटल बिहारी वाजपेयी	1991-92	भाजपा
72.	श्री अटल बिहारी वाजपेयी	1992-93	भाजपा
73.	श्री भगवान शंकर रावत	1993-94	भाजपा
74.	श्री भगवान शंकर रावत	1994-95	भाजपा
75.	श्री राम नाईक	1995-96	भाजपा
76.	डॉ. मुरली मनोहर जोशी	1996-97	भाजपा
77.	डॉ. मुरली मनोहर जोशी	1997-98	भाजपा
78.	श्री मनोरंजन भक्त	1998-99	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
79.	श्री नारायण दत्त तिवारी	1999-2000	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
80.	श्री नारायण दत्त तिवारी	2000-2001	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
81.	श्री नारायण दत्त तिवारी श्री एन. जनार्दन रेड्डी	2001-2002 (01.3.2002तक) (15.3.2002 से 30.4.2002तक)	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
82.	सरदार बूटा सिंह	2002-2003	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
83.	सरदार बूटा सिंह	2003-2004 (06.2.2004तक)	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
84.	प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा	(2004-2005)	भाजपा
85.	प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा	(2005-2006)	भाजपा
86.	प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा	(2006-2007)	भाजपा
87.	प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा	(2007-2008)	भाजपा
88.	प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा श्री संतोष कुमार गंगवार	(2008-2009) (18.12.2008तक) (23.12.2008 से 30.04.2009तक)	भाजपा

89.	श्री जसवंत सिंह श्री गोपीनाथ मुंडे	(2009-2010) (07.08.2009 से 31.12.2009तक) (06.01.2010 से 30.04.2010तक)	भाजपा
90.	डॉ. मुरली मनोहर जोशी	(2010-11)	भाजपा
91.	डॉ. मुरली मनोहर जोशी	(2011-12)	भाजपा
92.	डॉ. मुरली मनोहर जोशी	(2012-13)	भाजपा
93.	डॉ. मुरली मनोहर जोशी	(2013-14)	भाजपा
94.	प्रो. के.वी. थॉमस	(2014-15)	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
95.	प्रो. के.वी. थॉमस	(2015-16)	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
96.	प्रो. के.वी. थॉमस	(2016-17)	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
97.	श्री मल्लिकार्जुन खरगे	(2017-18)	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
98.	श्री मल्लिकार्जुन खरगे	(2018-19)	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
99.	श्री अधीर रंजन चौधरी	(2019-20)	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
100.	श्री अधीर रंजन चौधरी	(2020-21)	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
101.	श्री अधीर रंजन चौधरी	(2021-22)	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
102.	श्री अधीर रंजन चौधरी	(2022-23)	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

नोट: 1966-67 लोक लेखा समिति के सभापति को सत्तापक्ष के सदस्यों से नियुक्त किया जाता था।

जनवरी 1950 से समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन

जनवरी, 1950 से अध्यक्ष के नियंत्रणाधीन एक संसदीय समिति बनने के बाद से, यह समिति **17वीं लोकसभा (30 अप्रैल, 2021) तक 1681 प्रतिवेदन प्रस्तुत** कर चुकी है। लोक सभा-वार प्रस्तुत प्रतिवेदनों का विवरण निम्नवत है:

लोक सभा	**अवधि**	**प्रस्तुत प्रतिवेदन**
पहली लोक सभा	1952-57	025
दूसरी लोक सभा	1957-62	043
तीसरी लोक सभा	1962-67	072
चौथी लोक सभा	1967-70	125
पांचवीं लोक सभा	1971-77	239
छठी लोक सभा	1977-79	149
सातवीं लोक सभा	1980-84	231
आठवीं लोक सभा	1984-89	187
नौवीं लोक सभा	1989-91	022
दसवीं लोक सभा	1991-96	119
ग्यारहवीं लोक सभा	1996-97	024
बारहवीं लोक सभा	1998-99	011
तेरहवीं लोक सभा	1999-04	063
चौदहवीं लोक सभा	2004-09	084
पंद्रहवीं लोक सभा	2009-14	100
सोलहवीं लोक सभा	2014-19	137
सत्रहवीं लोक सभा	2019-जारी	50